



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO/ 2786584-Dir.



F. No. 11(3)2018-19/Admn. IV/

Dated the 12.12.2018

बेर फलों की नीलामी हेतु निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक बढ़ाने की सूचना

इस संस्थान में बेर फलों की नीलामी हेतु दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका, जोधपुर संस्करण में दिनांक 25.11.2018 प्रकाशित बेर फलों की नीलामी हेतु निविदा संबंधी सूचना प्रकाशित है जिसके अनुसार निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक 12.12.2018 समय दोपहर 12.00 बजे रखी गई थी को अब बढ़ाकर दिनांक 19.12.2018 समय दोपहर 2.30 बजे तक मुहर बन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित अन्य विवरण, नियम व शर्तें यथावत है तथा संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : यह विज्ञापन राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण तथा दैनिक भास्कर के जोधपुर संस्करण अखबार में दिनांक 13.12.2018 को प्रकाशित है।



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO/ 2786584-Dir.



F. No. 11(3)2018-19/Admn. IV/

Dated the 24th November, 2018

बेर फलों की नीलामी हेतु निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक बढ़ाने की सूचना

इस संस्थान में बेर फलों की नीलामी हेतु दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण में दिनांक 14.11.2018 को प्रकाशित बेर फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना प्रकाशित है जिसकी निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक 28.11.2018 समय दोपहर 2.30 बजे रखी गई थी को अब बढ़ाकर दिनांक 12.12.2018 समय दोपहर 12.00 बजे तक मुहर बन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित अन्य विवरण, नियम व शर्तें यथावत है तथा संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : यह विज्ञापन राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण तथा दैनिक भास्कर के जोधपुर संस्करण अखबार में दिनांक 25.11.2018 को प्रकाशित है।



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO/ 2786584-Dir.



F. No. 11(3)2018-19/Admn. IV/

Dated the 24th November, 2018

संशोधन

इस संस्थान में बेर फलों की नीलामी हेतु निविदा संख्या 11(3)2018-19/Admn. IV/ दिनांक 24 नवम्बर, 2018 के नियम व शर्तों में तथा इससे संबंधित विवरण में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं ।

1. धरोहर राशि ₹ 22,500.00 (₹ बाईस हजार पाँच सौ मात्र) “ICAR Unit –ICAR-CAZRI, Jodhpur” नाम से राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट (Demand Draft)/बैंकर चैक/पे ऑर्डर के रूप में निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
 8. इस संस्थान को अनुसन्धान व अन्य प्रयोजनार्थ निर्धारित 150 किलो ग्राम बेर के चयनित वेरायटी के अच्छे फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति करनी होगी ।
- नोट : न्यूनतम सरकारी मूल्य (Govt. minimum reserve price) रुपये 2.25 लाख रखा गया है । इस सरकारी न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य कोट की जानी वाली निविदादाता फर्म/पार्टी की निविदा दर मान्य नहीं होगी ।

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 12.12.2018 समय दोपहर : 12.00 बजे तक तथा
निविदा खोलने की दिनांक : 12.12.2018 समय दोपहर : 12.30 बजे

शेष नियम व शर्तें तथा अन्य विवरण यथावत हैं ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003/Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 –2787152(AAO) / FAX: 0291 – 2788706



फाइल संख्या : 11(3)2018-2019/Admn. IV/

दिनांक : 13.11.2018

बेर फलों की नीलामी हेतु निविदा सूचना

भा.कृ.अ.प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के मुख्य बागवानी क्षेत्र, टेक्नोलोजी पार्क तथा आई एफ.एस. ब्लॉक तथा चारागाह क्षेत्र (fodder block) के बगीचों में बेर की विभिन्न किस्मों के लगभग 1575 बेर के पेड़ तथा बागवानी क्षेत्र कृषि विज्ञान केन्द्र, जोधपुर के बगीचे में 67 बेर के पेड़ लगे हैं एवं जिन पर बेर फल लगे हैं । इन बेर फलों की नीलामी, फलों की ऋतु वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 28.11.2018 को दोपहर : 02.30 बजे तक मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in तथा CPPP पर उपलब्ध है । यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003/Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 -2787152(AAO)



फाइल संख्या : 11(3)2018-2019/प्रशासन चतुर्थ

दिनांक : 04.12.2018

बेर फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण पत्र विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें :

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 12.12.2018 समय दोपहर : 12.00 बजे तक
(Extended upto 19.12.2018 at 2.30 p.m.)

निविदा खोलने की दिनांक : 12.12.2018 समय दोपहर : 12.30 बजे
(Extended upto 19.12.2018 at 3.00 p.m.)

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । इच्छुक निविदा कर्ता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
भा.कृ.अ.प. –के.शु.क्षे.अ.सं. (काजरी),
जोधपुर । (राज0) 342 003

सेवा में

मैसर्स / श्रीमान् _____

विषय : भा.कृ. अ.प. – के.शु.क्षे.अ.सं.(काजरी) जोधपुर के मुख्य बागवानी क्षेत्र, टेक्नोलोजी पार्क, आई एफ.एस. ब्लॉक, चारागाह क्षेत्र (fodder block) तथा बागवानी क्षेत्र कृषि विज्ञान केन्द्र, जोधपुर के बगीचों में बेर की विभिन्न किस्मों के फलों की ऋतु वर्ष 2018-19 के लिए नीलामी हेतु निविदा ।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से भा.कृ.अनु.प. –के.शु.क्षे.अ.सं. (काजरी), जोधपुर के मुख्य बागवानी क्षेत्र, टेक्नोलोजी पार्क तथा आई एफ.एस. ब्लॉक, चारागाह क्षेत्र (fodder block) तथा बागवानी क्षेत्र कृषि विज्ञान केन्द्र, जोधपुर के बगीचों में बेर की विभिन्न किस्मों के फलों की ऋतु वर्ष 2018-19 के लिए नीलामी हेतु मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें सलग्न अनुसार हैं ।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में दिनांक 12.12.2018 समय दोपहर : 12.00 बजे (extended upto 19.12.2018 at 2.30 p.m.) तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा डाक/कोरियर द्वारा पहुंच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

निविदाएँ दिनांक 12.12.2018 समय दोपहर : 12.30 बजे (extended upto 19.12.2018 at 3.00 p.m.) इस संस्थान की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने संस्थान के सभा भवन में खोली जाएगी ।

भवदीय

सलग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (भण्डार)
वास्ते निदेशक

नीलामी सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	बेर के पेड़ों की संख्या	निविदादाता द्वारा निविदा की अंकित बोली/दर (स्पष्ट अंको और शब्दों में अंकित करें)
1.	इस संस्थान में बेर की विभिन्न किस्मों के लगभग 1575 पेड़ विभिन्न बगीचों में (जो कि मुख्य बागवानी क्षेत्र के बगीचे, टेक्नोलोजी पार्क के बगीचे, आई एफ.एस. ब्लॉक के बगीचे (75 पेड़), चारागाह क्षेत्र (fodder block) के बगीचे (50 पेड़) लगे हैं) तथा बागवानी क्षेत्र कृषि विज्ञान केन्द्र, जोधपुर में बेर की विभिन्न किस्मों के लगभग 67 पेड़ विभिन्न बगीचों में (जो कि फाटक द्वार तथा नया अनार का बगीचा में) लगे हैं एवं जिनमें बेर फल लगे हैं ।	=1642 Nos. (i.e.1575 +67) लगभग	(अंको में) ₹ (शब्दों में) ₹

नोट : न्यूनतम सरकारी मूल्य (Govt. minimum reserve price) रुपये 2.25 लाख (instead of Rs. 4.00 lakhs) रखा गया है । इस सरकारी न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य कोट की जानी वाली निविदादाता फर्म/पार्टी की निविदा दर मान्य नहीं होगी ।

बेर के फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें –

1. उपरोक्त के लिए धरोहर राशि ₹ 22,500.00 (₹ बाईस हजार पाँच सौ मात्र) (instead of Rs. 40,000.00) – “ICAR Unit –ICAR-CAZRI, Jodhpur” नाम से राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट (Demand Draft)/बैंकर चैक/पे ऑर्डर के रूप में निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर/जी.एस.टी. इत्यादि (if applicable) बेर के फलों की नीलामी में सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता/ठेकेदार/ फर्म को अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
3. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त बेर के पेड़ों का निरीक्षण अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
4. **नीलामी की अन्य शर्तें एवं नियम की क्रम संख्या 3 में लिखित निर्देशानुसार** निविदा सीलबन्ध लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर **बेर के फलों की नीलामी के लिए निविदा** अवश्य लिखें । निविदा दिनांक 12.12.2018 दोपहर : 12.30 बजे (extended upto 19.12.2018 at 2.30 p.m.) निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सामने खोली जाएगी । सभी निविदा दाताओं को यह सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधि को निविदा खोलते समय उपस्थिति हेतु भेजते हैं तो उन्हें अधिकृत पत्र के साथ इस संस्थान में भेजें ।
5. सफल या उच्चतम निविदा दाता /पार्टी को नीलामी के पश्चात बेर फल तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 9.00 से दोपहर 3.00 बजे तक इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्योरा रखा जायेगा । फलों की तुड़वाई नीलामी/ठेका अवधि के दौरान ही पेड़ों के बगैर नुकसान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है
6. बेर की नीलामी में पारित अधिकतम राशि का आधा भाग नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद एवं आधी राशि फलों की शुरु हो रही पहली तुड़वाई के दिन जमा कराने होंगे ।
7. ठेकेदार/फर्म को इस संस्थान के प्रांगण में एक विक्रय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी ।
8. इस संस्थान को अनुसन्धान व अन्य प्रयोजनार्थ निर्धारित 150 किलो ग्राम (instead of 200 kgs.) बेर के चयनित वेरायटी के अच्छे फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति करनी होगी ।
9. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
10. नीलामी के सफलतम अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
11. निदेशक, काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
12. **निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के संलग्न करना अनिवार्य है ।** नियम व शर्तों की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in से डाउन लोड की जा सकती है ।
13. अन्य शर्तें नीलामी के दिन निविदा खोलने से पूर्व संस्थान की समिति द्वारा सूचित की जाएगी ।
14. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
15. नीलामी की स्वीकृत शर्तों में से किसी भी शर्त का ठेकेदार/फर्म द्वारा फल ऋतु 2018-2019 की अवधि के दौरान उल्लंघन किये जाने पर निदेशक को नीलामी/ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार/फर्म द्वारा इस संस्थान में जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी
16. बेर की नीलामी के स्वीकृत ठेकेदार/फर्म अथवा उसके मजदूरों द्वारा बेर के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार/फर्म को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
17. नीलामी की स्वीकृत फर्म / ठेकेदार को नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि (performance security) जो कि नीलामी / ठेके की स्वीकृत अधिकतम राशि का 6 प्रतिशत भी अलग से संस्थान में जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तों की अनुपालना व फलों की ऋतु की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
18. बेर फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नहीं जाएंगे ।
19. नीलामी छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प. – के0शु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर को होगा ।
20. इस नीलामी में बेर फल तौड़ने की अवधि नीलामी की दिनांक से 30 मार्च 2019 अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।

नीलामी / टेके की अन्य शर्तें एवं नियम –

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट-छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. बेर की नीलामी हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ ₹ 22,500/- (₹ बाईस हजार पाँच सौ मात्र) (instead of Rs. 40,000.00) - अमानत राशि (Bid Security) बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक/ पे ऑर्डर द्वारा जो कि “ICAR UNIT- ICAR-CAZRI JODHPUR” के नाम देय हो जमा करवाना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा प्रस्तुत करते समय अमानत राशि (Bid Security) को एक अलग लिफाफे में जिस पर अमानत राशि स्पष्ट अंकित करें तथा चिपका कर बन्द करें तथा अन्य दूसरे लिफाफे में भरी गई निविदा दर, विवरण, नियम व शर्तों तथा चाहे गए अन्य कागजातों सहित चिपका कर बन्द करने के पश्चात उस पर स्पष्ट अक्षरों में बेर फलों की नीलामी हेतु निविदा अंतिम दिनांक एवं समय सहित अंकित करना होगा । दोनों बन्द लिफाफों को तीसरे बड़े लिफाफे में डालकर सील बन्द करना होगा तथा उस प्रस्तुत किये जाने वाले बड़े लिफाफे पर स्पष्ट बड़े अक्षरों में “बेर फलों की नीलामी हेतु निविदा” अवश्य लिखें तथा निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक एवं समय तक या इससे पूर्व कार्यालय को प्रस्तुत करें अथवा डाक/कुरियर द्वारा अवश्य पहुँच जानी चाहिए ।
4. निविदा भरते समय टेकेदार अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर एवं पेन संख्या अवश्य लिखें एवं पेन संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
5. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
6. कोट की गई दर 90 दिवस की अवधि तक वैध रहेंगी ।
7. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-के.शु.क्षे.अ.सं. (काजरी) को होगा ।
8. बेर की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर टेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई टेकेदार/फर्म को करनी टेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
9. बेर फल तौड़ने की कार्यावधि में टेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
10. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0 (काजरी) का होगा।
11. बेर की नीलामी की स्वीकृत फर्म/पार्टी/टेकेदार को बेर फल तौड़ने के कार्य के दौरान बेर नीलामी के नियम व शर्तों की अनुपालना तथा बेर नीलामी की स्वीकृत अधिकतम राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में सरकारी आदेशानुसार/ निर्देशानुसार उचित मूल्य का एक बन्धक वांछित स्टाम्प पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
12. बेर की नीलामी में सफलतम /अधिकतम दर स्वीकृत फर्म/टेकेदार को टेके की स्वीकृत अधिकतम राशि के अलावा सिक्यूरिटी राशि (टेके की राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करानी होगी जो कि टेके की समस्त शर्तों की अनुपालना व नीलामी के अन्तर्गत फल तौड़ने की अवधि पूरी होने के पश्चात वापिस देय होगी ।
13. बेर के फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा सुरक्षा सुपरवाइजर को देनी होगी ।
14. टेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय-समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की टेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
15. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले टेकेदार के श्रमिक/व्यक्ति/अथवा संबंधित टेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
16. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक